संख्या-194/2016/2118/71-1-2016-जी-129/2015

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 09 सितम्बर, 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वी0डी0आर0एल0 के लिए औषधि तथा रसायन व सामग्री व सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2016/434, दिनॉक 09-08-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर में वी0डी0आर0एल0 के लिए कन्ज्युमेबिल्स, औषधि एवं रसायन (रीजेण्ट एवं किट्स) के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत स्वाईन फ्लू के उपचार हेतु प्रयोगशाला का संचालन हेतु औषधि तथा रसायन मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख तथा सामग्री और सम्पूर्ति मद में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 लाख की निम्नांकित विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	वांछित कुल धनराशि	औषधि तथा रसायन मद में स्वीकृत धनराशि	सामग्री और सम्पूर्ति मद में स्वीकृत धनराशि
1	मेडिकल कालेज, कानपुर	24,58,335.00	12,29,167.50	12,29,167.50
2	मेडिकल कालेज, आगरा	24,95,010.00	12,47,505.00	12,47,505.00
3	मेडिकल कालेज, मेरठ	23,87,174.00	11,93,587.00	11,93,587.00
4	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	24,99,946.00	12,49,937.00	12,49,937.00
	योग-	98,40,465.00	49,20,196.50	49,20,196.50

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से रीजेण्ट एवं किट्स का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- रीजेण्ट एवं किट्स के मानक व गुणवत्ता की जिम्मदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

7- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-05-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0372-स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु प्रयोगशाला का संचालन-39-औषधि तथा रसायन-43-सामग्री और सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनॉक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या:- 194/2016/2118(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, आगरा, मेरठ तथा गोरखपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।